"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 नवम्बर 2015 — कार्तिक 14, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-35/2015/वाक/पांच (67). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 15क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस 2-47, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,-

(1) अनुसूची-2 के भाग-3 में सरल क्रमांक 7 के कॉलम (3) में, अंक "7" के स्थान पर, अंक "8.5" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-35/2015/वाक/पांच (67).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2015/वाक/पांच (67), दिनांक 5-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 5th November 2015

NOTIFICATION

No. F-10-35/2015/CT/V(67). — The following draft of further amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15A of the said Act, is hereby, published as required by sub-section (2) of said Section 15A, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Special Secretary, Department of Commercial Tax, Government of Chhattisgarh, Room No. S 2-47, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the Schedule of the said Act,-

(1) In column (3) of serial number 7 of Part III of Schedule II, for the figure "7", the figure "8.5" shall be substituted.

(2) This notification shall be effective from 1st December, 2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.